कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा

पत्रांक/ 1778-82 /2017—18 दिनांक 20-5-17

प्रबन्धक

इकरा इण्टरनेशनल स्कूल

सकरा, अवागढ (एटा)

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र

महोदय/महोदया,

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश के क्रम में जनपदीय मान्यता समिति एटा स्तर पर दिनांक 16-5-2017 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश दिनांक 8-5-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत इकरा इण्टरनेशनल स्कूल सकरा, अवागढ (हिन्दी माध्यम) को दिनांक 01 जुलाई 2016 से 30 जून 2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 6 से कक्षा 8 तक संचालन हेतु अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है—

1. मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/सबधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही हैं।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षण अधिकार अधिनियम 2010 उपाबन्ध 1 और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 उपाबन्ध 2 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत एवं पास पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्टि बालकों के लिये विद्यालयों को धारा 12की उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा, ऐसी प्रर्तिपूर्तियाँ प्राप्त करने क लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी वालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—

(I) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(II) किसी भी वालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थिओं को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ कर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठयकम का पालन होगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को वनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार है—

कीडा—स्थल का क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या, प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार कक्ष, वालक और वालिकाओं के लिये प्रथक—प्रथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड डे मील पकाने के लिये रसोई बाधाररहित पहुँच, अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाये।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

Manager
Iqra International School
Sikandra Rao-Jalesar Road
Sakra, Etah

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 03 516 दिया गया है, कृपया नोट कर ले और इस कार्यालय साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।

16. सोसायटी के रजिस्टीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।

17. संलग्न उपबन्धों के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

A शासनादेश में नियत मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक एव कर्मचारी अनुमन्य होगें।

Bविद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित (हिन्दी माध्यम) पाठयकम से भिन्न पाठयकम में न तो शिक्षा दी जायेगी न तो पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

Cविद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा

Dशासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने एवं गलत तथ्यों के प्रकाश में आने की स्थिति मे मान्यता प्रत्याहरण/समाप्ति का अधिकार मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) को होगा।

(आर0के0वर्मा) 20-5-17

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

एटा 20-5-17

पृ0सं0/ /2017-18 दिनांक वही।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0 लखनऊ।

2- सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।

3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अलीगढ।

4- जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी एटा।

5- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

एटा

Sikandrpur Jalesar Road

Sakra, Etah

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा

पत्रांक / 1663-67 /2017—18 दिनांक 20-5-17

प्रबन्धक

इकरा इण्टर नेशनल स्कूल(प्रा०स्तर)

सकरा, अवागढ़।

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 10 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र

महोदय / महोदया,

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन और उस सम्बन्ध मे विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिवेदन को जनपदीय मान्यता समिति एटा द्वारा दिनांक 20-5-2017 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश दिनांक 3-5-2013 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत इकरा इण्टर नेशनल स्कूल(प्रा०स्तर) सकरा अवागढ़ (हिन्दी माध्यम) को दिनांक 01 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये प्राथमिक कक्षा संचालन हेतु अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है

1. मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता / संवर्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षण अधिकार अधिनियम 2010 उपाबन्ध 1 और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 उपाबन्ध 2 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा से) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत एवं पास पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उनको निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्टि बालकों के लिये विद्यालयों को धारा 12की उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने क लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—

(I) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(II) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थिओं को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ कर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन होगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार है—

क्रीडा—स्थल का क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या, प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार कक्ष, बालक और बालिकाओं के लिये प्रथक—प्रथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड डे मील पकाने के लिये रसोई बाधाररहित पहुँच, अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाये नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाये।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये

Manager
Iqra International School
Sikandra Rao-Jalesar Road

स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तिओं के लाभ के लिये नहीं चलाया जा है।

13. विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 2017-03/45 जो दिया गया है, कृपया नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और सम्बंधित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16. सोसायटी के रजिस्टीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।

17. संलग्न उपबन्धों के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

A शासनादेश में नियत मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक एवं कर्मचारी पद अनुमन्य होंगे।

B विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित (हिन्दी माध्यम) पाठयक्रम से भिन्न पाठयक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी न तो पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

C विद्यालय में शिक्षा नियमों द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा।

D शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने एवं गलत तथ्यों के प्रकाश में आने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण/समाप्ति का अधिकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

(आर०के०वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा

पृ०सं०/ /2017-18 दिनांक वही।
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- शिक्षा निदेशक, बेसिक उ०प्र० लखनऊ।
2- सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अलीगढ़।
4- जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एटा
5- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा

Manager
Iqra International School
Sikandra Rao-Jalesar Road
Sakra, Etah

कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

जिला संकुल भवन, सर्कीट रोड, एटा (उ०प्र)-207001

E.Mail- etahbsa@gmail.com

निपुण भारत

पत्रांक / बेसिक / 6013-14 / 2025-26 दिनांक 04/11/25

प्रबन्धक
इकरा इन्टरनेशनल स्कूल
सकरा अवागढ ,जनपद एटा।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.10.2025 द्वारा विद्यालय की मान्यता का स्थायी करने हेतु आवेदन/प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार इकरा इन्टरनेशनल स्कूल सकरा अवागढ एटा (हिन्दी माध्यम) को कार्यालय के पत्रांक / 1663–67 / 2017–18 दिनांक 20.05.2017 के द्वारा कक्षा 1 से 5 तक संचालन हेतु एंव कार्यालय के पत्रांक / 1778–82 / 2017–18 दिनांक 20.05.2017 के द्वारा कक्षा 6 से 8 तक (हिन्दी माध्यम) की तीन वर्ष के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान की गयी थी।

कार्यालय पत्र दिनांक 20.05.2017 द्वारा प्रदान की गयी उक्त मान्यता सम्बन्धित शासनादेश संख्या 418 / 79–6–2013–18एस(7) / 89 दिनांक 08 मई 2013 एंव 419 / 79–6–2013–18(20) / 91 दिनांक 08 मई 2013 में उल्लिखित मानक एंव शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। संबधित शासनादेश में बिन्दु संख्या–15 में उल्लिखित नियम के आधार पर सम्बन्धित विद्यालय के विरूद्व कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होने के कारण एंव मान्यता के संबध में नवीन शासनादेश संख्या 196 / अरसठ–3–2018–2041 / 2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 किये गये संशोधन आदेश में दी गयी व्यवस्था एंव शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ के पत्र स0 शि0नि0(बे0) / मान्यता / 38274–371 / 2025–26 दिनांक 10.10.2025 के अनुसार मान्यता की शर्त पूर्ण करने के आधार पर विद्यालय को दी गयी मान्यता स्थायी श्रेणी में मानी जायेगी। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तो के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(दिनेश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा

पृ0सं0 / बेसिक / / 2025–26 दिनांक वही
प्रतिलिपि – खण्ड शिक्षा अधिकारी अवागढ को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा